रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102021-230772 CG-DL-E-27102021-230772

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4121]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 27, 2021/कार्तिक 5, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021/KARTIKA 5, 1943

No. 4121]

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4476(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवम्बर, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर, जालना और यवतमाल जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे अर्थात्—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43 और धारा 45अ से धारा 45ज तक;
 - (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83।

[फा. सं. एस.—38013 / 10 / 2021—एस.एस. I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

6217 GI/2021 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2021

- **S.O. 4476(E)**.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2021, as the date on which the provisions of the said Act, namely,—
 - (i) sections 38, 39, 40, 41, 42, 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
 - (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
 - (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Ahmednagar, Jalna and Yavatmal districts in the State of Maharashtra.

[F. No. S-38013/10/2021-SS.I] VIBHA BHALLA, Jt. Secy.